संचिका सं0–10/प्रा0–07–01/2018– 34(10)पी

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 05-03-19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में शिवहर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, तरियानी छपरा एवं मधुबनी जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, अंधराठाढ़ी के पुराने कंडेम भवन के स्थान पर तीस शैय्या वाले नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 6,80,47,000x2= 13,60,94,000/–(तेरह करोड़ साठ लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र व्यय निमित आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3301, दिनांक–02.12.2017 के द्वारा रेफरल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में शिवहर जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, तरियानी छपरा एवं मधुबनी जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, अंधराठाढ़ी के पुराने कंडेम भवन के स्थान पर तीस शैय्या वाले नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं चाहरदीवारी निर्माण, परिसर विकास तथा आवश्यक फर्निचर हेतु कुल रुपये 6,80,47,000x2= 13,60,94,000/–(तेरह करोड़ साठ लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–1138(10), दिनांक–21.02.2019 द्वारा दी गयी है। तद्क्रम में उक्त कार्य हेतु रुपये 6,80,47,000x2= 13,60,94,000/–(तेरह करोड़ साठ लाख चौरानवे हजार रुपये) व्यय निमित आवंटन दी जाती है।

ज्ञातव्य है कि सिविल सर्जन, शिवहर के कार्यालय पत्रांक–1193, दिनांक–21.11.2017 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक–719, दिनांक–24.10.2013 द्वारा रेफरल अस्पताल, तरियानी छपरा के भवन रहने लायक नहीं **(ABONDONED)** घोषित किया गया है। इसीतरह, सिविल सर्जन, मधुबनी के कार्यालय पत्रांक–450, दिनांक–25.02.2017 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक–1067, दिनांक–31.08.2013 द्वारा रेफरल अस्पताल, अंधराठाढ़ी के भवन को रहने योग्य नहीं **(ABONDONED)** घोषित किया गया है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) एतद्संबंधी भवन निर्माण कार्य संबंधित रेफरल अस्पताल परिसर में आवश्यक भूमि (2 एकड़) उपलब्ध होने के उपरान्त ही कराया जाएगा ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की होगी ।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। निगम के द्वारा भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत करायेगें।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष– 0101–रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड–K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(6) यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2), दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2), दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 34(10)9 /स्वा0, पटना, दिनांक– 05-03-19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, शिवहर एवं मधुबनी/सिविल सर्जन, शिवहर एवं मधुबनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरियानी छपरा (शिवहर) एवं अंधराठाढ़ी (मधुबनी)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।